फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री नेमीचंद जैन पुत्र श्री रायचंद जैन जाति जैन निवासी सिरोही रोड तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 7 /वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पंचायत निगरानी संख्या 93/2005 में शाह विजयराज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड दिनांक 21.08.1978 की प्रमाणित प्रति एवं मेलापचंद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19.05.2005 की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा निगरानी संख्या 62/2005 में प्रस्तुत आवेदन मय संलग्न दस्तावेज दिनांक 26.08.2002 की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 16.09.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पंचायत निगरानी संख्या 93/2005 में शाह विजयराज द्वारा प्रस्तुत बंटवाड दिनांक 21.08.1978 की प्रमाणित प्रति एवं मेलापचंद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19.05.2005 की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत जनापुर द्वारा निगरानी संख्या 62/2005 में प्रस्तुत आवेदन मय संलग्न दस्तावेज दिनांक 26.08.2002 की प्रमाणित प्रति से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उपरोक्त सूचना के संबंध में जरिए पत्र क्रमांक 540 दिनांक 24.09.2021 को अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अ[illegible]ति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रा[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2022.01.17 16:37:31 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner